भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2228
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

वारंगल में न्यायिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

2228. डॉ. कडियम काव्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में वारंगल ज़िले में न्यायिक अवसंरचना, जैसे न्यायालय भवन, न्यायालय महाकक्ष, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवन और ई-न्यायालय अवसंरचना के विकास और सुदृढीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ; और

(ख) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की केंद्र-प्रायोजित योजना और ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और स्वीकृत और जारी की गई निधि कितनी है. पूरे किए गए कार्य क्या है, कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं क्या हैं और उनके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों में निहित हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय सरकार, केंद्र और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के बीच विहित निधि साझाकरण रीति से वित्तीय सहायता प्रदान करके, वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम में पांच घटक अर्थात् न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाईयां, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष सम्मिलित हैं ।

उपरोक्त सीएसएस के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विस्तृत मांगे प्राप्त होने के पश्चात् राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियों का अस्थाई आबंटन किया जाता है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मूल स्वीकृति जारी की जाती है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सीएसएस के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते समय मूल स्वीकृति की सीमा के भीतर चिन्हित परियोजनाओं के संबंध में व्यय उपगत कर सकते हैं। सीएसएस के अधीन विगत तीन वर्षों के दौरान वारंगल जिले सहित जिला न्यायालय अवसंरचना के संनिर्माण के लिए तेलंगाना राज्य द्वारा जारी और उपयोग की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी और उपयोग की गई निधियां (रु. करोड़ में)**
1	2023-24	0.00
2	2024-25	1.96
3	2025-26	9.20
कुल		**11.16**

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तेलंगाना राज्य के लिए 15.79 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है। तथापि, वर्तमान में वारंगल जिले में किसी भी न्यायालय भवन का संनिर्माण नहीं हो रहा है। वारंगल जिले में सीएसएस के अधीन स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**न्यायालयों भवनों की संख्या**	**परियोजना की लागत**	**पूर्ण होने/ उद्घाटन की तारीख**
1	नरसमपेट में जूनियर सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन	1	4.00 करोड़ रु.	27.06.2020
2	वारंगल जिला न्यायालय परिसर में दस न्यायालय भवन वाले परिसर का संनिर्माण	10	21.65 करोड़ रु.	19.12.2021

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन, विगत तीन वर्षों में वारंगल जिले के लिए 1,91,87,957/- रुपये की कुल रकम स्वीकृत और जारी की गई हैं । इसके अतिरिक्त, वारंगल जिले में ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

• वारंगल जिले की 11 न्यायलयों को आईसीटी हार्डवेयर प्रदान किया गया है, जिसमें ऑल-इन-वन कंप्यूटर, स्कैनर, डिजिटल टोकन, प्रिंटर, डॉक्यूमेंट विज़ुअलाइजर, डिस्प्ले बोर्ड मॉनिटर, यूपीएस सिस्टम आदि सम्मिलित हैं।

• वादकारियों, अधिवक्ताओं, आम जनता और अन्य पणधारियों तक ई-सेवाओं का प्रसार करने के लिए वारंगल जिले में दो ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

• कारागारों से विचारणाराधीन कैदियों (यूटीपीएस) को प्रस्तुत करने और अस्पतालों से दूर बैठे डॉक्टरों के साक्ष्य को अभिलेखित करने के लिए वारंगल जिले के दो नए न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपस्कर प्रदान किए गए हैं।

• वारंगल जिले के एक नए न्यायालय परिसर में 20 किलोवाट क्षमता वाला एक सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सिस्टम स्थापित किया गया है।

• वारंगल जिले के सभी स्थापनों को आदेशिका तामीलकर्ता और बेलिफ को एनएसटीईपी का कार्यान्वयन करने के लिए हस्तधारित मोबाइल युक्तियां प्रदान की गई हैं।

• वारंगल जिले के तीन (3) जिला न्यायालयों को ई-फाइलिंग और कागजरहित प्रणाली के लिए ऑनलाइन न्यायालयों के रूप में चिन्हित किया गया है।
